न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 01/2018

अपीलांट

महेन्द्र व्यास पुत्र श्री देवेन्द्र व्यास, जाति ब्राहम्ण, आयु वयस्क, पेशा खेती व पूजा पाठ, निवासी सिरोही, व जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. ठाकरी पुत्र श्री दारारामजी देवासी, जाति रेबारी, आयु वयस्क, पेशा खेती निवासी मीरपुर, तहसील सिरोही, जिला सिरोही।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, सिरोही, जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नारायणलाल कुम्हार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

–: निर्णय :–

दिनांकः–09.09.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक जिलाधीश सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 बउनवान महेन्द्र बनाम ठाकरी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 382 रकबा 1.5000 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये उभयपक्ष को पाबंद करने का आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 727/2008 दिनांक 21.05.2008 के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से अपीलांट उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

आराजी पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पेशी दिनांक 02.05.2017 नियत थी, जिस पर जवाब हेतु रेस्पोडेन्ट ने समय चाहा। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 29.05.2017 की नियत की गई। किन्तु इसी दौरान पत्रावली दिनांक 16.05.2017 को न्याय आपके द्वारा कैम्प में रखकर पक्षकारान व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति भी अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 382 रकबा 1.5000 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये उभयपक्ष को पाबंद करने का आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। राजस्व अधिकारियो ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कब्जे व काश्त की बिना जांच किये गलत रूप से राजस्व रेकर्ड में रगा पुत्र मोना रेबारी निवासी मीरपुर के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज कर दी। उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण रगा पुत्र मोना रेबारी के उतराधिकारियो ने गोकलाराम पुत्र श्री रावताराम रेबारी को वादग्रस्त आराजी का बेचान किया। उक्त बेचान के आधार पर आराजी गोकलाराम के नाम दर्ज की गई। उक्त बेचान के आधार पर अपीलांट ने अपने नाम नामान्तरकरण दायर करवाया। किन्तु उक्त बेचान केवल मात्र कागजात में ही हुए है। वास्तव में वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। एवं कब्जे के अभाव में अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना जैर अपील आदेश के जरिये उभयपक्ष को पाबंद किये जाने का आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावे, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 382 रकबा 1.5000 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जैर अपील आदेश के जरिये उभयपक्ष को पाबंद करने का आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। किन्तु वकील रेस्पोडेन्ट ने हाजा न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने क्रमांक/विधि/09/659 दिनांक 21.09.2009 द्वारा उपखंड अधिकारी सिरोही को भेजे गये जवाब, मौका फर्द की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कब्जा होना साबित होता है। एवं कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना कानून उचित नहीं है। किन्तु वादग्रस्त आराजी के संबध में हक–अधिकारो का निर्णय मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के राजस्व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द करने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक जिलाधीश सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 बउनवान महेन्द्र बनाम ठाकरी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.05.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प-सिरोही